1714 | 18

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

5000

रु.5000

Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

दिनेश गर्ग (दस्तावेज लेखक) B-34, कमला नगर, आगरा

CG 252593

आबिद मो0 खाँ
सहायक कोषाधिकारी
7 ... 2018
कोषागार, आगरा

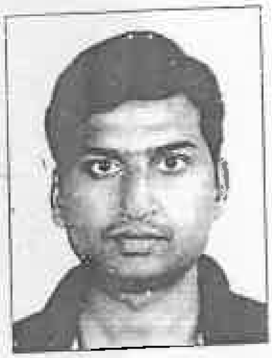

श्री हनुमानजी महाराज सदा सहाय

उप निबन्धक तृतीय आगरा

1.	किस्म दस्तांवेज	–	विक्रय विलेख
2.	भूमि का प्रकार	–	आवासीय प्लाट
3.	वार्ड / मौहल्ला	–	आरोग्य सिटी के अन्तर्गत आनंदम आवासीय योजना के नाम मे पास है, मौजा कुण्डौल तहसील व जिला आगरा
4	सम्पत्ति की विवरण	–	प्लाट संख्या – 28 खसरा संख्या 1791घ, 1793ख व 1794,
5.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	–	96.60 वर्गमीटर
6.	सड़क की स्थिति	–	9 मीटर चौडा मार्ग
7.	अन्य विवरण	–	कॉनर व दो रास्ते व पार्क फेस का नही है

10 / 5-3-17

स्टाम्प विक्रय की तिथि ----------

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ---- बैनामा

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ----

स्टाम्प की धनराशि ---- 5000/-

पूरन चन्द्र शर्मा
लाइसेंस नं० - 179
ला० की अवधि 31 मार्च 2017
सदर तहसील, आगरा

Rs. 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

[redacted]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 252594 CG 252594

7 FEB 2018

(2)

8.	सम्पत्ति का प्रकार	—	रिक्त प्लाट
9.	मापन की इकाई	—	वर्गमीटर
10.	सर्किल रेट भूमि	—	5,300/—रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से जो सर्किल रेट सूची के पेज नम्बर 55 कमांक 575 पर अंकित है।
11.	प्रतिफल धनराशि	—	5,12,000/—रुपये
12	सरकारी मालियती	—	5,12,000/—रुपये
13.	स्टाम्प अदा	—	25,600/—रुपये (पुरुष केता होने पर इम्प्रूवमेंट क्षेत्र से बाहर होने पर 5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

विक्रीत प्लाट पर निर्माण नही हो रहा है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27(I) का उल्लंधन नही हो रहा है तथा उक्त प्लाट मुख्य मार्ग पर स्थित नही है।

सम्पत्ति विवरणः– एक किता आवासीय प्लाट नम्बर 28 व तादादी 96.60 वर्गमीटर, अन्तर्गत खसरा संख्या 1791घ, 1793ख व 1794, पैमाइशी — 6.10 मीटर बाई 15.85 मीटर आरोग्य सिटी के अन्तर्गत आनंदम आवासीय योजना के नाम मे पास है, मौजा कुण्डौल तहसील व जिला आगरा जिसके साथ नक्शा संलग्न किया जा रहा जो कि लाल रंग से दर्षाया गया है।

स्टाम्प विक्रय की तिथि -------- 5-3-18

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन --------

विक्रय पत्र

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता --------

प्रतिफल - 512000 स्टाम्प शुल्क - 25600 बाजारी मूल्य - 512000 पंजीकरण शुल्क - 10240 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग - 10300

स्टाम्प की धनराशि -------- 2000

श्री एच0के0जी0 इन्फ्राटेक प्राइवेट लि0 द्वारा निर्देशक द्वारा
नितेश गर्ग अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री हरीकिशन गर्ग
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: बी 791 कमला नगर आगरा

श्री, एच0के0जी0 इन्फ्राटेक प्राइवेट लि0 द्वारा निर्देशक द्वारा नितेश गर्ग अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 05/03/2018 एवं 04:35:16 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस के सिंह
उप निबंधक :सदर तृतीय
आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 339237 CG 339237

6 FEB 2014

(3)

निम्न सीमांकित-

पूरब	:	रास्ता व निकास 9 मीटर चौडा
पष्चिम	:	प्लाट नम्बर 25
उत्तर	:	प्लाट नम्बर 29
दक्षिण	:	प्लाट नम्बर 27

प्रथमपक्ष विक्रेता विवरण की संख्या एक

देवेन्द्र सिंह धाकरे पुत्र श्री रघुनाथ सिंह निवासी ग्राम कुण्डौल, तहसील व जिला आगरा।
मो0न0 – 9359323867

तथा

द्वितीयपक्ष क्रेता का विवरण की संख्या-एक

एच0के0जी0 इन्फ्राटेक प्राइवेट लि0 आगरा द्वारा निर्देशक नितेश गर्ग पुत्र श्री हरीकिशन गर्ग निवांसी बी–791, कमला नगर आगरा। मो0न0 – 9897199900

बैनामा मालियती- मुवलिग 5,12,000/– रुपया (पाँच लाख बारह हजार रुपया) जिसके आधे 2,56,000/– रुपया (दो लाख छप्पन हजार रुपया) होते है उपरोक्त धनराषि इस प्रकार प्राप्त की

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री देवेन्द्र सिंह धाकरे, पुत्र श्री रघुवीर सिंह

निवासी: कुंडोल आगरा

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 1

श्री एच0के0जी0 इन्फ्राटेक प्राइवेट लि0 द्वारा निर्देशक के द्वारा नितेश गर्ग, पुत्र श्री हरीकिशन गर्ग

निवासी: बी 791 कमला नगर आगरा

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री प्रवीन कुमार, पुत्र श्री कुमर चन्द

निवासी: न्यू आगरा आगरा

व्यवसाय: व्यापार

पहचानकर्ता : 2

श्री विभू गुप्ता, पुत्र श्री जी0एस0गुप्ता

निवासी: 10 सिद्धार्थ अपार्टमेंट सिविल लाइन्स आगरा

व्यवसाय: व्यापार

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

एस के सिंह
उप निबंधक : सदर तृतीय
आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 339238 CG 339238

(4)

मुवलिग	चैक नम्बर	दिनांक	बैंक का नाम
2,56,000/—	000025	01/03/2018	कोटेक महिन्द्रा बैंक संजय प्लेस आगरा।
2,56,000/—	000026	15/03/2018	कोटेक महिन्द्रा बैंक संजय प्लेस आगरा।

इस प्रकार कुल मिलाकर 5,12,000/—रुपये की धनराशि मुझ प्रथम पक्ष ने प्लाट की बाबत द्वितीयपक्ष से प्राप्त कर ली है। अब प्लाट की बावत कुछ पाना बाकी नहीं रहा ना आयन्दा होगा।

प्लाट मजकूर आवासीय जिसका विवरण ऊपर दिया गया है का मै पथमपक्ष वहैसियत संकमणीय भूमिधर तथा प्रथमपक्ष की पैत्रिक जमीन है के आधार पर तनहा एक मात्र मालिक कामिल काविज व दखील व स्वामी चला आता हूँ। सिवाय प्रथमपक्ष के कोई दीगर हक्कदार व हिस्सेदार वगेरा प्लाट मजकूर मे नहीं है जो कि सीने किसी इन्तकाल रहन वेय वगेरा का होवे। जो कि प्रथमपक्ष, को उक्त प्लाट व उसके अंष को विक्रय करने से रोक सके। विक्रय किया जा रहा प्लाट आज तक कहीं आढ़ रहन वै विक्रय दान—जमानत आदि नहीं है।

विक्रय किया जा रहा प्लाट नजूल व राजकीय आस्थान व तालाब पोखर ग्राम सभा व मन्दिर आदि की भूमि नहीं है ना ही उक्त भूमि की कोई भी विवाद

5-3-18

147

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 339239 CG 339239

6 FEB 2014

(5)

किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है विक्रय की ज़ा रही भूमि सीलिंग वाद से मुक्त है ना ही प्रथमपक्ष ने उक्त भूमि की बावत कोई भी मुआवजा किसी भी न्यायालय से नहीं उठाया है तथा प्रथमपक्ष ने आंज से पूर्व उक्त भूमि का कोई भी अनुबन्ध पत्र विक्रय विलेख पट्टाविलेख, अधिकार–पत्र आदि विलेख दीगर व्यक्ति के हक में नहीं किये हैं यानि उक्त प्लाट हर प्रकार से कतई तौर पर पाक साफ है।

अगर वाद तकमील बैनामा हाजा जुमला अमूरात मजकूर के खिलाफ कोई अमर जाहिर या सावित हो या टाय़टिल में डिफेक्ट पाये जावे तो प्रथमपक्ष विकेती जुमला नतायज कानूनी की पूर्ण रूप से पावन्द व़ जिम्मेदार होगी ऐसी हर सूरत मे द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना हर्जा व खर्चा चाहे जिस प्रकार से प्रथमपक्ष से वसूल करले इसमें प्रथमपक्ष को कोई उजर व ऐतराज किसी भी किस्म का नहीं होगा ।

अव मैं प्रथमपक्ष विक्रेता प्लाट की भूमि मजकूर को मिलने माकूल कीमत वक्त मोजूदा के विक्रय करना मन्जूर है जिसमे सरासर फायदा प्रथमपक्ष का है।

लिहाजा मैं प्रथमपक्ष अपनी राज़ी व खुषी से बिना वहकाये व सिखाये व बिना दवाव नाजायज के स्वस्थ चित्त मन बुद्धि तथा इन्द्रियों की ठीक दषा मे बिना किसी मादक वस्तु के सेवन किये बिना उक्त प्लाट को साथ तमाम हद हदूद दाखिली व खारिजी के बिना इस्तसनाये किसी सैय व़ जुज सैय के कुल जिम्मेदारियों के साथ तथा गुडटायटिल की गारन्टी के साथ विल एवज मुवलिग 5,12,000/– उक्त में बदस्तं एच0के0जी0 इन्फाटेक प्राइवेट लि0 आगरा द्वारा

10

8-3-18

147

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 261985

(6)

[illegible] भारद्वाज

- 1 FEB 2018

[illegible]

निर्देशक नितेश गर्ग पुत्र श्री हरीकिशन गर्ग निवासी बी–791, कमला नगर आगरा उक्त द्वितीयपक्ष को वेय कतई कर दिया और वेच दिया कव्जा व दखल मालिकाना आज की तारीख मे गुडटायटिल के साथ द्वितीयपक्ष का वाकई करा दिया।

अव द्वितीयपक्ष को अधिकार है कि वह हस्व मषां अपने चाहे जिस प्रकार से लाभान्वित होवे तथा चाहे जिसे चाहे जिस रेट पर रहन वैय विक्रय दान जमानत आदि जो चाहे सो करे तथा चाहे जैसी इमारत पुखतावखाम बनावे तथा अपने नाम का नामांकन कागजात सरकार मेहकमा मालखाना माल मे दर्ज कराले। आज के बाद द्वितीयपक्ष प्लाट को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय करते है या बैंक या वित्तीय संस्था में बन्धक रखते है तो प्रथमपक्ष को कोई उजर व ऐतराज नही होगा। आज तक की प्लाट से सम्बन्धित जो भी देनदारिया होती है उनको अदा करने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी और आंज के बाद द्वितीयपक्ष की होगी।

अगर भविष्य में कभी कोई वारिस कोमी या खानदानी या अन्य किसी भी प्रकार का पैदा होकर दावा व झगडा करे तो जिसकी वजह से द्वितीयपक्षगण को किसी को कुछ देना या खर्च करना पड़े या टाइटिल मे कोई डिफेक्ट पाया जावे तो ऐसी हर सूरत मे द्वितीयपक्षगण को अधिकार होगा कि वह अपना हर्जा व खर्चा चाहे जिस तौर से मुझसे से व मेरे वारिसान से वसूल करले कुछ उजर व एतराज किसी भी किस्म का नहीं होगा।

सीरियल नं० 22 / 5-3-14

प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता [illegible]

मुख्तार-स्टाम्प विक्रेता
ला० नं०-5, अवधि 31 मार्च 2014
तहसील सदर, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DY 506843

(7)

दस्तावेज पर प्रथमपक्ष तथा द्वितीयपक्ष का जो फोटो चस्पा किया गया है उसके हस्ताक्षर व फोटो की षनाख्त इस दस्तावेज के गवाहानों ने की है।

प्लाट से सम्बन्धित समस्त मूल दस्तावेज द्वितीय पक्ष के हवाले कर दिये गये है। विक्रय विलेख का समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया गया है।

अतः यह बैनामा (विक्रय–पत्र) वाद सुनने व समझने व जुमला मजमून के पढ़ने के वाद खूव सोच व समझ कर बिना किसी मादक वस्तु के सेवन किये बिना व बिना दवाव नाजायज के स्वस्थ चित्त मन बुद्धि तथा इन्द्रियों की ठीक दषा मे लिख दिया कि सनद रहे ओर वक्त जरूरत के काम आवे तहरीर तारीख 05/03/2018 व मसौदा दिनेश गर्ग दस्तावेज लेखक, तहसील, आगरा बी–34, कमला नगर आगरा ने व इकरार प्रथमपक्ष एवम् द्वितीयपक्ष के कथानुसार खुद कम्प्यूटर से टाइप किया।

दिनेश गर्ग (दस्तावेज लेखक)
बी-34, कमला नगर, आगरा

1. गवाहः– प्रवीण कुमार पुत्र श्री कुमर चन्द निवासी – न्यू आगरा, आगरा।

2. गवाहः– विभू गुप्ता पुत्र श्री जी0एस0 गुप्ता निवासी – 10, सिद्धार्थ अपार्टमेन्ट सिविल लाईन आगरा।

सीरियल नं० 23

प्रयोजन 5-3-18

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता एम.के.जी. इन्फ्रा - 22

मुख्तार-स्टाम्प विक्रेता
ला० नं०-5, अवधि 31 मार्च 2017
तहसील सदर, आगरा

लेख 60 http://igrsup.gov.in/igrsup/showEndorsReport_html_60

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 8751 के पृष्ठ 39 से 54 तक क्रमांक 1914 पर दिनाँक 05/03/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.के सिंह
उप निबंधक : सदर तृतीय
आगरा

SITE PLAN OF PLOT NO:-28 KH.NO-1791, 1793, 1794 AT- AROGYA CITY MAUZA KUNDOL AGRA.
SELLER/- DEVENDRA SINGH DHAKREY
PURCHASER/- HKG. INFRATECK P. LTD.
AREA-96.60 M2

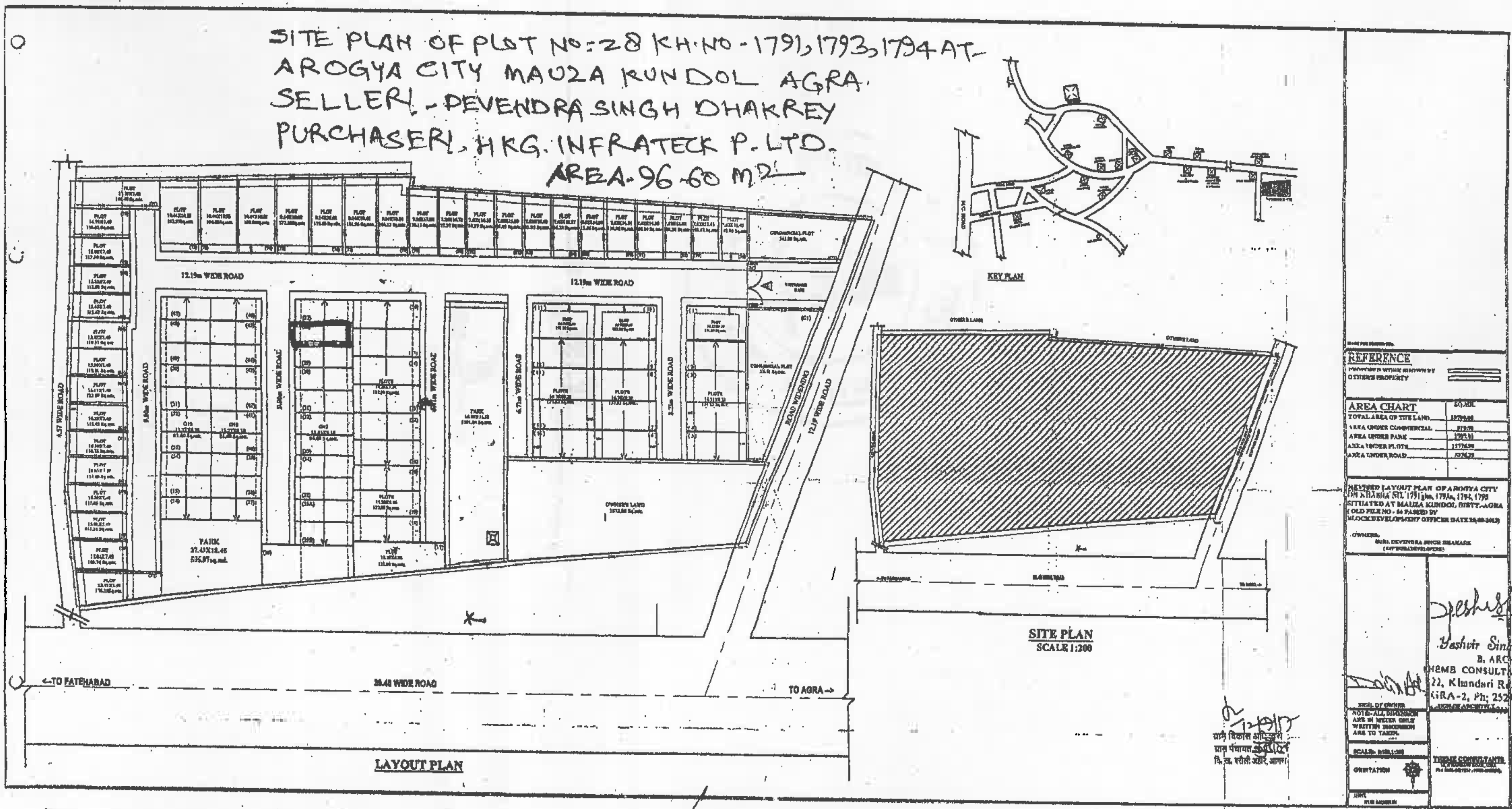

1214

उप निदेशक-मुद्रण